



५०१।।

दूरभाष— 2286709
2286710

नव वेताना केन्द्र, 10 अशोक भार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : २९९० /०५/७६/एक/२०१५—१६
सेवा में,

दिनांक २३ अक्टूबर २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद—शामली।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५—१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५—१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या—३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अद्युक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50084784336	IFSC Code ALLA0211937	105.683
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	दस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	शामली	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०प० काशला	मोहल्ला मौलानान काशला में बारूद फैक्ट्री से अफजल मेम्मदर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.951
2	शामली	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०प० कैराना	पीरजादगान में एजाज पीर जी के प्लाट से नवाब तालाब तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.010
3	शामली	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०प० कैराना	पीरजादगान में अद्वुल कादिर की दुकान से नवाब तालाब तक, तालाब वाली मरिजद से निसार के मकान तक, पीर जी के मकान (तालाब के दक्षिण साइड के कोने) से गीर हसन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	32.136
4	शामली	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०प० कैराना	खेलगला में गफूर के मकान से जुम्मन के मकान तक, मास्टर नासिर के मकान से सलीम अहमद के मकान तक, ताहिरा के मकान से जाहिद हसन के मकान तक, लियाकत के मकान से पानीपत वाले के मकान तक, मरगूब के मकान से घिल्ले के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	12.963
5	शामली	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०प० कैराना	खेलगला में मरिजद से मोहरिन के मकान तक, शाकील के मकान से मदरसे तक, शगशाद के मकान से इरफान के मकान तक एवं महमूद के मकान से शेरदीन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.142
6	शामली	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०प० कैराना	वार्ड नं० ४१ खेलगला में राशिद के मकान से निजाम मुल्ला के मकान तक, नफीस वाली गली में, अनवार वाली गली में, अहसान वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.965



५०९/२

दूरसंचार 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मैलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्ति की धनराशि का प्रेषण
7	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० कैराना	वार्ड नं० ०९ छड़ीयान में हाजी मुस्तुफा के मकान से असागर के मकान तक, इलियास के मकान से अखतर के मकान तक, मुस्तुफा टेली के मकान तक, इस्लाम के मकान से लियाकत के मकान तक, कब्रिस्तान से हाजी जमशेद के मकान तक एवं मरगूब आलम के मकान से जाहिद के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	20.285
8	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० जलालाबाद	मोहल्ला नानू में यालौ खां के टॉवर से नाले तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.231
	योग				105.683

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मैलिन वसितियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- १ उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुलूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मैलिन वसितियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ली०पी०आ०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- २ रस्तानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- ३ प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर संधार स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- ४ अवमुक्त की जा रही धनराशि के राष्ट्रेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ५ स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- ६ प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- ७ परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- ८ योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपरोगिता प्रगाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपरोगिता प्रगाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- ९ उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्तों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमानुसार इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।





४०९/३

दूरभाष 2286709
2286710

नय वेरान केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्तों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवगुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर रोल / लेखा विभाग—सूडा।